



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11082021-228892
CG-DL-W-11082021-228892

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, अगस्त 1—अगस्त 7, 2021, शनिवार / श्रावण 10—श्रावण 16, 1943
No. 18] NEW DELHI, AUGUST 1—AUGUST 7, 2021, SATURDAY / SRAVANA 10 – SRAVANA 16, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2021

आ.अ. 218.—यतः निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा **3-गोड्डा** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित, उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **गोड्डा**, झारखण्ड द्वारा दिनांक **24 जून, 2019** के पत्र सं **1580/निर्वा०** द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक **05 जुलाई, 2019** के पत्र सं **01/निर्वा०-EEM-को०-23/2019/5197**, के जरिए अग्रेषित रिपोर्ट

के अनुसार **श्री जफर ओबैद**, जो झारखण्ड राज्य के **3-गोड्डा** लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **बहुजन समाज पार्टी** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा आपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **गोड्डा** झारखण्ड और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री जफर ओबैद** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **23 अगस्त, 2019** को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **23 अगस्त, 2019** के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री जफर ओबैद** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेख न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री जफर ओबैद** के मामा **श्री अनवारुलहसन** द्वारा दिनांक **21 सितंबर, 2019** को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **गोड्डा** द्वारा अपने दिनांक **21 सितंबर, 2019** के पत्र सं० 1642/ निर्वा० के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **गोड्डा** द्वारा अपने दिनांक 14 जून, 2021 के पत्र सं० 154/जि०निर्वा० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री जफर ओबैद** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री जफर ओबैद** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा”

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड राज्य के **3-गोड्डा** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले **बहुजन समाज पार्टी** के अभ्यर्थी **श्री जफर ओबैद**, **मकान सं०-191 बाबुगांव, पो०-मटवारी, जिला-हजारीबाग, झारखण्ड-825301** को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. झार.-लो०स०/पूर्व अनु-1/3/2019]

आदेश से,

अरविन्द आनन्द, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 5th August, 2021

O.N. 218.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Jharkhand, 2019 was announced by Election Commission vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, the date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **3-Godda** Parliamentary Constituency in Jharkhand State on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report vide letter No. **1580/निर्वा०** dated **24th June, 2019** submitted by the District Election Officer, **Godda** Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer, Jharkhand vide letter No. 01/निर्वा-ई.ई.एम-को.-23/2019/5197, dated **05th July, 2019**, **Sh. Zaffar Obaid**, a contesting candidate of **Bahujan Samaj Party** from **3-Godda Assembly** Constituency in Jharkhand State, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Godda**, Jharkhand and the Chief Electoral Officer, Jharkhand, a Show Cause Notice dated **23rd August, 2019** was issued by Election Commission under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Zaffar Obaid** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **23rd August, 2019**, **Sh. Zaffar Obaid**, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Anwarulhasan, maternal uncle of Sh. Zaffar Obaid**, on **21st September, 2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Godda** vide his letter No. 1642/निर्वा० dated **21st September, 2019**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Godda** vide his letter 154/जि०निर्वा० dated **14th June, 2021**, it has been stated that **Sh. Zaffar Obaid** has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Zaffar Obaid**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:—

"If the Election Commission is satisfied that a person—

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares **Sh. Zaffar Obaid**, resident of **H.No.-191, Babugaon, P.O- Matwari, Dist-Hazaribagh, Jharkhand-825301** and a contesting candidate of **Bahujan Samaj Party** for General Election to Lok Sabha of Jharkhand, 2019 from **3-Godda** Parliamentary Constituency in the State of Jharkhand, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.JKD-HP/ES-I/3/2019]

By order,

ARVIND ANAND, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2021

आ.अ. 219.— यतः निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा **3-गोड्डा** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित, उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोड्डा, झारखण्ड द्वारा दिनांक 24 जून, 2019 के पत्र सं 1580/निर्वा० द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक 05 जुलाई, 2019 के पत्र सं 01/निर्वा०—EEM—को0-23/2019/5197, के जरिए अग्रेषित रिपोर्ट के अनुसार श्री अनुप कुमार सिन्हा, जो झारखण्ड के 3-गोड्डा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा आपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोड्डा झारखण्ड और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अनुप कुमार सिन्हा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 23 अगस्त, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 23 अगस्त, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अनुप कुमार सिन्हा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेख न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अनुप कुमार सिन्हा द्वारा दिनांक 28 सितंबर, 2019 से पूर्व प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, गोड्डा द्वारा अपने दिनांक 28 सितंबर, 2019 के पत्र सं 1629(ii)/ निर्वा० के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोड्डा द्वारा अपने दिनांक 14 जून, 2021 के पत्र सं 154/जि०निर्वा० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अनुप कुमार सिन्हा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अनुप कुमार सिन्हा निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ”

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड राज्य के 3-गोड्डा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री अनुप कुमार सिन्हा, 76 कमला कुटीर, गोसाइ टोली, चुटिया के पास, थाना-चुटिया, रांची, झारखण्ड-834001 को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा. सं. झार.—लो०स०/पूर्व अनु-1/3/2019]

आदेश से,

अरविन्द आनन्द, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th August, 2021

O.N. 219.— WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Jharkhand, 2019 was announced by Election Commission vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, the date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **3-Godda** Parliamentary Constituency in Jharkhand State on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report vide letter No. **1580/निर्वा०** dated **24th June, 2019** submitted by the District Election Officer, **Godda** Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer, Jharkhand vide letter No. **01/निर्वा-ई.ई.एम-को.-23/2019/5197**, dated **05th July, 2019**, **Sh. Anup Kumar Sinha**, an **Independent** contesting candidate from **3-Godda Assembly** Constituency in Jharkhand State, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer **Godda**, Jharkhand and the Chief Electoral Officer, Jharkhand, a Show Cause Notice dated **23rd August, 2019** was issued by Election Commission under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Anup Kumar Sinha** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **23rd August, 2019**, **Sh. Anup Kumar Sinha**, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Anup Kumar Sinha**, before on **28th September, 2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Godda** vide his letter No. **1629(ii)/निर्वा०** dated **28th September, 2019**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Godda** vide his letter **154/जि०निर्वा०** dated **14th June, 2021**, it has been stated that **Sh. Anup Kumar Sinha** has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Anup Kumar Sinha**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares **Sh. Anup Kumar Sinha**, resident of **76, Kamla Kutir Gosai Toli, Near Chutiya, P.S- Chutiya, Ranchi, Jharkhand-834001** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Lok Sabha of Jharkhand, 2019 from **3-Godda** Parliamentary Constituency in the State of Jharkhand, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.JKD-HP/ES-1/3/2019]

By Order,

ARVIND ANAND, Principal Secy.